


30.10.19

पकावली में उड़ी पकावली का व्यवहार
बिना उभयपक्ष के अनिर्णय उपर पकावली
से सम्बन्धित मूल अपील इन्वीजेंट की
स्वीकार की जाकर रिजिट की जा-पुकी
के साथ हस्तगत पकावली का आगे चलने
का कोई औचित्य नहीं है तथा पकावली
इसी स्तर पर जारी की जाती है पकावली
केवल मुकदमे के तर्जनील डाबिल
दस्तावेज हैं



उपसज्ज अधिकारी
जे. ए. सी.क.



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official